कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-30.09.2025

विषय:- "आई लव मोहम्मद" के नाम का पोस्टर/बैनर लेकर बिना अनुमति के क्षेत्र में जुलूस निकालकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व अराजकता फैलाने के मामले में 02 अभियुक्तों को थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-269/2025 धारा 196/299/61(2) बी0एन0एस0 थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तगण 01. गुलाम मोहम्मद पुत्र स्व0 सहिबुल हक निवासी मीना बाजार थाना लोहता जनपद वाराणसी व 02. जहिर पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मीना बाजार थाना लोहता जनपद वाराणसी को आज दिनांक-30.09.2025 को समय करीब 12.30 बजे मीना बाजार थाना लोहता वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 26.09.2025 को चौ0प्र0 कस्बा थाना लोहता कमि0 वाराणसी मय हमराह पैन्थर-05 के कर्म0गण के देखभाल चौकी क्षेत्र कस्बा में भ्रमणशील थे कि ज्ञात हुआ कि चौकी क्षेत्र कस्बा के रहने वाले मुस्लिम सम्प्रदाय के 10-12 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा "I LOVE MOHAMMAD" लिखा हुआ बैनर/पोस्टर लेकर आवागमन को बाधित कर नारे बाजी करते हुए जुलूस निकाला जा रहा है, जिससे आम जनमानस को काफी समस्या का सामना करना पड़ा तथा इस जुलूस को निकालने को लेकर स्थानीय लोगों में काफी भय एवं आक्रोश व्याप्त है। मुस्लिम सम्प्रदाय के अज्ञात लोगों द्वारा इस प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत कर मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों में अपना दबदबा व वर्चस्व कायम करने हेतु जानबूझकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व अराजकता फैलाने का कार्य किया गया। उपरोक्त घटना को लेकर क्षेत्र की जनता में काफी चर्चा हो रही है। मुस्लिम सम्प्रदाय के इस नई परम्परा से सांप्रदायिक टकराव व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उक्त घटना का फुटेज व वीडियो दिनांक-23.09.2025 का प्राप्त हुआ है। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जुलूस में शामिल मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों द्वारा जानबूझकर सम्प्रादायिक माहौल खराब करने को लेकर ऐसे कृत्य किये गये है, जिससे क्षेत्र में अराजकता फैल सके तथा सम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न हो सके। जिसके संबंध में थाना लोहता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. गुलाम मोहम्मद पुत्र स्व0 सहिबुल हक निवासी मीना बाजार थाना लोहता जनपद वाराणसी, उम्र 40 वर्ष।
2. जहिर पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मीना बाजार थाना लोहता जनपद वाराणसी, उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

मीना बाजार थाना लोहता वाराणसी से, दिनांक-30.09.2025 को समय करीब 12.30 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 269/2025 धारा 196/299/61(2) बी0एन0एस0 थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष निकिता सिंह थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार यादव थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 सत्यप्रकाश सिंह थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 अजीत कुमार थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।